Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में अतिरिक्त कमिश्नर, जी.एस.टी. (वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–भीलवाड़ा) को एक दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से 4 लाख रुपये रिश्वत लेते–देते पकड़ा, एक अन्य अधिकारी व दलालों सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय जयपुर स्थित विशेष अनुसंधान इकाई द्वारा आज रविवार को उदयपुर एवं भीलवाड़ा में कार्यवाही करते हुये मोहम्मद हुसैन अंसारी, अतिरिक्त कमिश्नर, जी.एस.टी. (वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–भीलवाड़ा) को उसके दलाल नीलेश अग्रवाल (प्राईवेट व्यक्ति) से उदयपुर स्थित निवास पर 4 लाख रुपये रिश्वत लेते–देते गिरफ्तार किया है। प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर कर विभाग, भीलवाड़ा के एक अन्य अधिकारी एवं दलालों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को गोपनीय सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी कि जी.एस.टी (वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान) वृत–भीलवाड़ा में टैक्स–चोरी का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें कर–विभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी और प्राईवेट व्यक्ति मिलीभगत करके सरकार को करोड़ों से राजस्व की हानि पहुंचा रहे है।

जिस पर एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजंरग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रधुवीर शरण एवं** ए.सी.बी. की विशेष टीमों द्वारा उदयपुर एवं भीलवाड़ा में एक साथ कार्यवाही करते हुये 1–मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी निवासी 11, मुर्शिदनगर, बड़ी मस्जिद के पास, सैक्टर–12, हिरण मगरी, उदयपुर हाल अतिरिक्त कमिश्नर, जी.एस.टी. वृत–भीलवाड़ा को उनके निवास पर 2–नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल निवासी 32/197, सीनीयर सैकण्डरी स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, हिरण मगरी, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) से 4 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते–देते गिरफ्तार किया।

प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर 3–दिनेश टेलर पुत्र श्री राधेश्याम निवासी निवासी 119–सी, प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–भीलवाड़ा, 4–राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल निवासी बी–14, कमला विहार, भीलवाड़ा हाल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) 5–लक्ष्मण अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल अग्रवाल निवासी 3–ए–7, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा हाल संचालक अग्रवाल इलैक्ट्रोवीजन, भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) को निरूद्ध किया जाकर पूछताछ की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से गहन पूछताछ तथा कर विभाग के अन्य संदिग्ध अधिकारियों के भीलवाड़ा एवं उदयपुर स्थित ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।